न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
85/2010	23.7.2010	22.8.2025

मोहनलाल पुत्र रामवतार, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1. सूरज बेवा मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/2. अनिल पुत्र स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/3. रेखा पुत्री स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/4. सुनील पुत्र स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/5. नीरज पुत्र स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/6. देवेश पुत्र स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/7. राधा पुत्री स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. राजकुमार पुत्र रामवतार, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. मु0चमेली देवी पत्नि रामावतार, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

––वादीगण

बनाम

1. मीठालाल पुत्र भूरया, बैरवा निवासी उदेइकलां (मृतक)
1/1. श्रीमति कम्पूरी बेवा स्व0 मीठालाल, बैरवा, उदेईकलां (मृतक)
1/2. रामचरण पुत्र स्व0 मीठालाल, बैरवा, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/3. श्यामलाल उर्फ पप्पू पुत्र स्व0मीठालाल,बैरवा,उदेईकलां तह.गंगापुरसिटी
1/4. मुकेश पुत्र स्व0 मीठालाल, बैरवा, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/5. छुट्टन पुत्र स्व0 मीठालाल, बैरवा निवासी सैनिक नगर, रामलड्डू बाबा की समाधी के पास, गंगापुर सिटी तह0 गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

––प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व हुक्मइम्तनाई दवामी

उपस्थित :– श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट, वादीगण की ओर से
श्री धीरज पल्लीवाल, एडवोकेट, प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त उनवानी दावा वादीगण ने [illegible] य का प्रस्तुत किया है कि आराजी साबिक ख0नं0 449 [illegible] स्थित है जिसमें से 1 बीघा 18 विस्वा भूमि वादी नं0 1 व 2 को [illegible] वादी नं0 3 के [illegible] रामवतार पुत्र रामेश्वर ब्राह्मण निवासी उदेईक[illegible] को अलोट की [illegible]। इस भूमि का कब्जा रामवतार पुत्र रामेश्वर को दे दिया गया व रिकार्ड में इस

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

अलोटशुदा भूमि का ख0नं0 449/1 बनाया गया व अलोट के समय से ही अलोटी रामवतार पुत्र रामेश्वर व वादीगण उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। रामवतार शर्मा की मृत्यु के बाद वादीगण इस भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। भू–प्रबन्ध के दौरान साबिक ख0नं0 449 के हाल ख0नं0 2240 व ख0 नं0 2248 बनाए गए हैं। मौके की स्थिति व वादीगण के कब्जे काश्त की भूमि का साबिक शीट से हाल शीट का मिलान करने पर ख0नं0 2248 बनना चाहिए लेकिन सहवन से हाल भू–प्रबन्ध अधिकारियों की गलती के कारण प्रार्थी को ख0नं0 2240 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा भूमि दी गई है व ख0नं0 2248 की भूमि को प्रतिवादी नं0 1 मीठालाल पुत्र भूरया बैरवा नि0 उदेईकलां के नाम खाते में लगा दिया है जबकि प्रतिवादी नं0 1 मीठया पुत्र भूरया बैरवा ने आज तक उक्त भूमि पर काश्त नहीं की है व वादीगण के पिता रामवतार पुत्र रामेश्वर ही अलोटमेंट के समय से काश्त करते चले आ रहे थे, उनकी मृत्यु के बाद अब उक्त आराजी ख0नं0 2248 वादीगण के कब्जे काश्त में है, अन्य किसी दीगर व्यक्ति का आराजी ख0नं0 2248 की भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। दि0 20.9.88 को वादी नं0 1 पटवारी हलका से मिला तो पटवारी हलका से जानकारी हुई कि वादीगण का नम्बर गलती से मीठया पुत्र भोरया बैरवा के नाम लगा दिया है और वादीगण के नाम ख0नं0 2240 की भूमि लगाई है। इस पर वादीगण ने प्रतिवादी मीठया से इसकी दुरूस्ती कराने को कहा तो दिनांक 30.5.89 को प्रतिवादी ने दुरूस्ती कराने से मना कर दिया। इसलिए वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जाकर आराजी साबिक ख0नं0 449/1 से बने हाल ख0नं0 2248 का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। हाल भू–प्रबन्ध में गलती से मीठ्या पुत्र भूरया के नाम किए गए इन्द्राज को दुरूस्त किया जाकर वादीगण का नाम अंकित किया जावे व मीठया प्रतिवादी का नाम हटाया जावे। प्रतिवादी को पाबंद फरमाया जावे कि वह वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ।

प्रतिवादीगण की ओर से जबाब दावा प्रस्तुत हुआ। जबाब दावे में प्रतिवादीगण ने अंकित किया है कि वादीगण के अतिरिक्त स्व0 रामेश्वर की तीन लडकियां और है जो स्व0 रामेश्वर की वारिस हैं। प्रतिवादी को सन् 1975 में 9 विस्वा भूमि आवंटित हुई है तभी से प्रतिवादी इस भूमि पर काबिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

चला आ रहा है। ख0नं0 2248 पर वादीगण का कब्जा काश्त नहीं है। मिलान क्षेत्रफल में नवीन ख0नं0 2248 रकबा 81 एयर पुराने ख0नं0 449 रकबा 3 बीघा से बना है जो प्रतिवादी नं0 1 की गैरखातेदारी की भूमि है। वादीगण का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण वादपत्र के मद नं0 1 में अपनी भूमि 1 बीघा 18 विस्वा बताते हैं तो उसके एवज में 81 एयर भूमि कैसे अपनी बताते हैं। वादीगण की भूमि वादीगण के खाते में पूरी दी गई है। जबाब दावा के विशेष विवरण में अंकित किया है कि स्व0 रामवतार की तीन लडकियां है जो इस दावे में आवश्यक पक्षकार हैं जिनके अभाव में दावा खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी नं0 1 को सन् 1975 में ख0नं0 449 में से 3 बीघा भूमि तथा ख0नं0 489 में से 9 विस्वा भूमि आवंटित कर कब्जा मौके पर संभलाया गया है तभी से प्रतिवादी भूमि पर काबिज चला आ रहा है। ख0नं0 449 रकबा 3 बीघा से ही नवीन ख0नं0 2248 रकबा 81 एयर बना है जो प्रतिवादी नं0 1 की भूमि है। वादीगण का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। वादीगण ने गलत दावा किया हो खारिज होने योग्य है। वादीगण के कथनानुसार उन्हें 1 बीघा 18 विस्वा भूमि आवंटित हुई है उसके बदले में 81 एयर का रकबा वादीगण का होना कतई सम्भव नहीं है। ख0नं0 2248 पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त है। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर दिनांक 13.5.1998 को निम्न तनकी कायम की गई:–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 449/1 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा स्व0 रामवतार की अलोटशुदा, कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसके वारिस वादीगण ही हैं। ——वादीगण

2. आया हाल भू–प्रबन्ध में इसके नवीन नम्बर 2240 व 2248 बनाए गए हैं एवं ख0नं0 2240 गलत रूप से वादीगण के लगाई गई है एवं मौके के अनुसार ख0नं0 2248 वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए । ——वादीगण

3. आया भूमि ख0नं0 2248 गलत रूप से प्रतिवादी नं0 1 के नाम लगा दी है। ——वादीगण

4. आया वादीगण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को दुरुस्त करवाने, ख0नं0 2248 की खातेदारी उनके नाम दर्ज करवाने, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने के अधिकारी हैं। ——वादीगण

5. आया स्व0रामवतार के वादीगण के अलावा 3 लडकियां हैं जिन्हें दावेमें पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है। ——प्रति. नं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

. आया ख0नं0 2248 प्रतिवादी की अलोटशुदा, कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि साबिक ख0नं0 449 रकबा 3 बीघा का नया नम्बर है जिससे वादीगण का कोई वास्ता नहीं है। ——प्रतिवादी नं0 1

7. अनुतोष ।

वादपत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श–1, प्रदर्श–2, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी सं0 2041 से 2044 प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी खतौनी सं0 2043 प्रदर्श–5, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–6, नकल प्रतिलिपि प्राप्त करने का आवेदन पत्र दिनांक 6.3.91 मय रिपोर्ट व आदेश प्रदर्श–7, प्रदर्श–8, नकल जमाबंदी सं0 2045 से 2048 प्रदर्श–9 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान वादी मोहनलाल पी0डब्लू01, बयान गवाह बाबूलाल पी0डब्लू0 2, बयान गवाह अम्बालाल पी0डब्लू03 कराए हैं। इसके अतिरिक्त वादीगण ने नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र रामअवतार पुत्र रामेश्वर मय भूमि आवंटन आदेश, कब्जा रिपोर्ट भी प्रस्तुत किए हैं।

प्रतिवादीगण की ओर से अपने जबाब के समर्थन में नकल प्रोसीडिंग रजिस्टर दिनांक 28 जून 1975 प्रदर्श ए–1, नकल हाल नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए–2, नकल साबिक नक्शा ट्रेस प्रदर्श ए–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–4, नकल जमाबंदी आधार वर्ष प्रदर्श ए–5 प्रस्तुत किए हैं एवं बयान प्रतिवादी मीठालाल डी0डब्लू0 1, बयान गवाह रामनारायण डी0डब्लू0 2, बयान गवाह रामहेत डी0डब्लू0 3 कराए हैं।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी जाकर वादीगण का यह वाद इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2007 द्वारा खारिज किया गया।

इस न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2007 के विरूद्ध वादीगण द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर में अपील प्रस्तुत की गई।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.2009 द्वारा वादीगण की अपील स्वीकार करते हुए इस न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 31.7.2007 निरस्त करते हुए प्रकरण इस न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रकरण में मौका कमिश्नर से मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट मंगाते हुए पुनः नियमानुकूल निर्णय पारित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के यहां से पत्रावली वापिस प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः इस न्यायालय में दर्ज की गई एवं तहसीलदार गंगापुर सिटी से वादग्रस्त भूमि की मौका रिपोर्ट चाही गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के पत्रांक आर0ए0/मौका रिपोर्ट/14/550 दिनांक 11.6.2015 के साथ पटवारी हलका उदेईकलां व गिरदावर हलका की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.5.2015 प्राप्त हुई ।

बहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि वादीगण के पूर्वज रामओतार पुत्र रामेश्वर को दिनांक 3.6.1976 को ग्रामत उदेईकलां की भूमि साबिक ख0नं0 449 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा आवंटित की गई थी। आवंटन के बाद भूमि का कब्जा आवंटी को दिनांक 13.8.76 को दे दिया गया। तभी से आवंटी रामवतार व उसके बाद वादीगण इस भूमि पर काबिज चले आ रहे हैं। नकल मिलान क्षेत्रफल के अनुसार इसका ख0नं0 2240 रकबा 0.44 है0 बनाया गया जो आवंटी रामओतार की खातेदारी में दर्ज किया गया। मौके पर वास्तव में वादीगण का भूमि ख0नं0 2248 पर कब्जा है परन्तु भू-प्रबन्ध विभाग ने इसे प्रतिवादी मीठालाल पुत्र भूरया बैरवा की खातेदारी में दर्ज कर दिया है जो गलत है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से जो रिपोर्ट आई है उसमें भी वादीगण का ख0नं0 2248 में 44 एयर भूमि पर कब्जा काश्त है। इस प्रकार मौके की स्थिति के अनुसार ख0नं0 2248 में से 44 एयर भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज की जावे व वादीगण का दावा डिक्री किया जावे।

प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कहा कि हाल ख0नं0 2248 रकबा 81 एयर साबिक ख0नं0 449 रकबा 3 बीघा से बना है जो प्रतिवादी की गैरखातेदारी की भूमि है। वादीगण का इस भूमि से कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रतिवादी मीठालाल को सन् 1975 में ख0नं0 449 में से 3 बीघा भूमि तथा ख0नं0 489 में से 9 विस्वा भूमि आवंटित की गई थी जिसका वर्तमान ख0नं0 2248 बनाया जाकर यह प्रतिवादी मीठालाल की खातेदारी में दर्ज किया है जो सही है। इसलिए वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तनकीवाइज निर्णय निम्नानुसार है:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

<u>तनकी नं0 1:—</u> आया भूमि साबिक ख0नं0 449/1 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा स्व0 रामवतार की अलोटशुदा, कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि है जिसके वारिस वादीगण ही हैं।

—वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल भूमि आवंटन प्रार्थना पत्र मय रिपोर्ट पटवारी, सिफारिश भूमि आवंटन सलाहकार समिति, आदेश सब डिवीजनल आफिसर, कब्जा रिपोर्ट एवं आवंटन आदेश (जो कि प्रदर्श नहीं कराए गए हैं) के अनुसार भूमि ख0नं0 449/1 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा ग्राम उदेईकलां रामावतार को आवंटित होना, इसका कब्जा आवंटी को दिया जाना प्रमाणित है। अतः प्रस्तुत अभिलेख से यह तनकी वादीगण के पक्ष में प्रमाणित होती है व वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 2 :—</u> आया हाल भू-प्रबन्ध में इसके नवीन नम्बर 2240 व 2248 बनाए गए हैं एवं ख0नं0 2240 गलत रूप से वादीगण के लगाई गई है एवं मौके के अनुसार ख0नं02248 वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए।—वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-6 के अनुसार साबिक ख0नं0 449 मि0 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा से नवीन ख0नं0 2240 रकबा 0.44 है0 बनाया गया है एवं यह नम्बर नकल जमाबंदी प्रदर्श-5 के अनुसार रामओतार के नाम गैरखातेदारी में दर्ज की गई है। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए-4 के अनुसार ख0नं0 449 रकबा 3 बीघा से नवीन ख0नं0 2248 रकबा 0.81 है0 बनाया गया है जो नकल जमाबंदी प्रदर्श ए-5 के अनुसार प्रतिवादी मीठालाल की गैरखातेदारी में दर्ज है। वादीगण ने उनके पूर्वज रामवतार को आवंटित भूमि साबिक ख0नं0 449/1 का नक्शा ट्रेस प्रस्तुत नहीं किया है जिसके अभाव में वर्तमान नक्शा ट्रेस व साबिक नक्शा ट्रेस को मिला कर साबिक ख0नं0 449/1 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा की ठीक लोकेशन का पता नहीं लगाया जा सकता है परन्तु तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट के अनुसार वादीगण का ख0नं0 2248 में उत्तरी दिशा की ओर के 0.44 है0 रकबे पर भौतिक रूप से कब्जा बताया गया है। इसलिए मौके पर कब्जे के अनुसार ख0नं0 2248 रकबा 0.81 है0 में से उत्तरी दिशा की ओर [illegible] है0 भूमि वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए। अतः यह तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 3 :—</u> आया भूमि ख0नं0 2248 गलत रूप से प्रतिवादी नं0 1 के नाम लगा दी है।

—वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। वादीगण एवं प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श-6 व प्रदर्श

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

ए–4 के अनुसार हाल ख0नं0 2240 व 2248 साबिक ख0नं0 449 से बनाए गए हैं। वादीगण के पूर्वज रामओतार के नाम ख0नं0 2240 व प्रतिवादीगण के पूर्वज मीठालाल के नाम ख0नं0 2248 की भूमि दर्ज की गई है। दोनों को ही साबिक ख0नं0 449 में से भूमि आवंटित हुई थी जिसका अभिलेख पत्रावली पर उपलब्ध है ऐसी स्थिति में यह तो नहीं कहा जा सकता कि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा ख0नं0 2248 गलत रूप से प्रतिवादी मीठालाल के नाम दर्ज कर दी गई है परन्तु मौका रिपोर्ट दिनांक 18.5.2015 के अनुसार ख0नं0 2248 में 0.44 है0 रकबे पर वादीगण का कब्जा है इसलिए यह कहा जा सकता है कि यह 0.44 है0 भूमि भू–प्रबन्ध के दौरान वादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। इस प्रकार यह तनकी किसी एक पक्ष की ओर नहीं जाती है। फलस्वरूप यह तनकी वादीगण एवं प्रतिवादीगण दोनों के ही पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 4 :–</u> आया वादीगण भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करवाने, ख0नं0 2248 की खातेदारी उनके नाम दर्ज करवाने, प्रतिवादीगण को स्थाईनिषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारीहैं।—वादीगण

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था। तनकी नम्बर 1, 2, 3 में किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण ख0नं0 2248 रकबा 0.81 है0 में से उनके कब्जे की भूमि उत्तरी दिशा की ओर की 0.44 है0 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। इसलिए यह तनकी उपरोक्त तनकियों में किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 5 :–</u> आया स्व0रामवतार के वादीगण के अलावा 3 लडकियां हैं जिन्हें दावेमें पक्षकार नहीं बनाए जाने के कारण दावा चलने योग्य नहीं है।
—प्रति. नं0 1

इस तनकी को प्रमाणित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने अपने जवाब में यह तथ्य तो उठाया है कि स्व0 रामवतार के 3 लडकियां भी हैं परन्तु उनके बारे में कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए प्रमाणित नहीं होने के कारण यह तनकी प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

<u>तनकी नं0 6 :–</u> आया ख0नं0 2248 प्रतिवादी की अलोटशुदा, कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि साबिक ख0नं0 449 ... का नया नम्बर है जिससे वादीगण का कोई वास्ता नहीं है। —प्रतिवादी नं0 1

इस तनकी को प्रमाणित ... प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत ... रजिस्टर प्रदर्श ए–1 के अनुसार दिनांक 28 जून 1975 को प्रतिवादी मी...लाल पुत्र हीरालाल बैरवा उदेईकलां को ग्राम उदेईकलां में साबिक ख0नं0 449 में 3 बीघा भूमि आवंटित हुई है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श ए–4 के अनुसार साबिक ख0

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

...जिला कलेक्टर
...पुर सिटी (स0मा0)

नं0 449 का नवीन ख0नं0 2248 रकबा 0.81 है0 बनाया गया है जो नकल जमाबंदी आधार वर्ष प्रदर्श ए–5 के अनुसार मीठालाल की गैरखातेदारी में दर्ज है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 18.5.15 के अनुसार वादीगण का ख0नं0 2248 रकबा 0.81 है0 में उत्तरी दिशा की ओर 0.44 है0 भूमि पर मौके पर कब्जा है। अतः वादीगण के कब्जे की इस 0.44 है0 भूमि के अतिरिक्त ख0नं0 2248 की शेष रही भूमि से वादीगण का कोई वास्ता नहीं है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के पक्ष में आंशिक रूप से प्रमाणित होने के कारण इसी अनुसार प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7 :– अनुतोष ।

इस प्रकार तनकी संख्या 1 लगायत 6 में किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार एवं वादीगण अपना वादपत्र डिक्री करवा कर वादग्रस्त भूमि ख0नं0 2248 रकबा 0.81 है0 ग्राम उदेईकलां में से उनके कब्जे की उत्तरी दिशा की ओर की 0.44 है0 भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती करवाने के अधिकारी हैं। चूंकि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा भूमि ख0नं0 2240 रकबा 0.44 है0 ग्राम उदेईकलां वादीगण के नाम दर्ज की गई है इसलिए यह भूमि वादीगण के नाम से कम की जाकर प्रतिवादी मीठालाल पुत्र भूरया, बैरवा के नाम दर्ज किया जाना उचित है। इसी अनुसार प्रस्तुत वाद निर्णित किया जाना उचित है।

आदेश

अतः तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि हाल ख0नं0 2248 रकबा 0.81 है0 ग्राम उदेईकलां में से 0.44 है0 भूमि उत्तरी दिशा की ओर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि मीठालाल पुत्र भूरया, बैरवा की खातेदारी से कम की जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। साथ ही वादीगण के नाम दर्ज भूमि ख0नं0 2240 रकबा 0.44 है0 ग्राम उदेईकलां प्रतिवादी मीठालाल पुत्र भूरया, बैरवा के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22|8|... को सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिला कलक्टर
उप जिला कलक्टर
गंगापुर सिटी (सवा0)

डिकरी व मुकद्दमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–जाब्ता दीवानी)
(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

Judi/Civil
Part IV-10

अज अदालत उप जिलाकलक्टर मुकाम गंगापुर सिटी
इजलास बृजेन्द्र मीना, आर0ए0एस0

उनवान

मोहनलाल पुत्र रामवतार, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी (मृतक)
1/1. सूरज बेवा मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/2. अनिल पुत्र स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/3. रेखा पुत्री स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/4. सुनील पुत्र स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/5. नीरज पुत्र स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/6. देवेश पुत्र स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/7. राधा पुत्री स्व0मोहनलाल, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. राजकुमार पुत्र रामवतार, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
3. मु0चमेली देवी पत्नि रामावतार, ब्राह्मण, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी

——वादीगण

बनाम

1. मीठालाल पुत्र भूरया, बैरवा निवासी उदेइकलां (मृतक)
1/1. श्रीमति कम्पूरी बेवा स्व0 मीठालाल, बैरवा, उदेईकलां (मृतक)
1/2. रामचरण पुत्र स्व0 मीठालाल, बैरवा, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/3. श्यामलाल उर्फ पप्पू पुत्र स्व0मीठालाल,बैरवा,उदेईकलां तह.गंगापुरसिटी
1/4. मुकेश पुत्र स्व0 मीठालाल, बैरवा, उदेईकलां तहसील गंगापुर सिटी
1/5. छुट्टन पुत्र स्व0 मीठालाल, बैरवा निवासी सैनिक नगर, रामलड्डू बाबा की समाधी के पास, गंगापुर सिटी तह0 गंगापुर सिटी
2. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणां खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती व हुक्मइम्तनाई दवामी

मुकदमा नं. —85/2010

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री बृजनन्दन दीक्षित, एडवोकेट [illegible] धीरज पल्लीवाल, एडवोकेट, मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया [illegible] तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं निर्णय के अनुसार [illegible] किया जाकर डिक्री किया जाता है एवं भूमि हाल [illegible] 2248 [illegible] 0.81 है0 ग्राम उदेईकलां में से 0.44 है0 भूमि उत्तरी दिशा की ओर का खा[illegible]र काश्तकार घोषित किया जाता है। यह भूमि मीठालाल पुत्र भूरया, बैरवा की खातेदारी से कम की

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

मोहनलाल वगैरा बनाम मीठालाल वगैरा, दावा

(2)

जाकर वादीगण की खातेदारी में दर्ज की जावे। साथ ही वादीगण के नाम दर्ज भूमि ख0नं0 2240 रकबा 0.44 है0 ग्राम उदेईकलां प्रतिवादी मीठालाल पुत्र भूरया, बैरवा के नाम दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में इन्द्राज दुरूस्ती की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 22-8-2025 को जारी किया गया ।

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दायलह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा					
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प पर्ची		
महनताना वकील			महनतानावकील पर		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत इजराय			बाबत इजराय		
हुक्मनामा			हुक्मनामा		
मुतफर्रिक			मुतफर्रिक		
मीजान			मीजान		

(बृजेन्द्र मीना)
उप जिलाकलक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2025.09.03 11:17:18 IST
Reason: SelfAttested